



# उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तभासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हरावाला, देहरादून – 248001

दूरभाष : 0135-2685124, फ़ैक्स : 0135-2685137, ईमेल : [info@uau.ac.in](mailto:info@uau.ac.in)

पत्रांक : /उ0आ0वि0/सम्बद्धता/2017-18

दिनांक : 22-5-18

3955


## सम्बद्धता कार्यालय आदेश

आयुष विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या R12011/13/2016-EP(IM-1) दिनांक 19.09.2017 तथा विश्वविद्यालय के कार्यकारी आदेश संख्या 1929/उ0आ0वि0/सम्बद्धता/2017-18 दिनांकित 26.09.2017 द्वारा गठित निरीक्षण समिति की रिपोर्ट/संस्तुति के क्रम में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा-33 की उपधारा (4) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुपालन में निम्नांकित संस्थान को स्तम्भ-3 में वर्णित पाठ्यक्रम हेतु उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ-5 में वर्णित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

| क्र० सं० | संस्थान/महाविद्यालय का नाम                 | पाठ्यक्रम का नाम | प्रवेश क्षमता | अस्थाई सम्बद्धता की अवधि  |
|----------|--|------------------|---------------|---|
| 01       | 02   | 03               | 04            | 05  |
| 1        | दून इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फ़ैकल्टी साइंस | बी0ए0एम0एस0      | 60 सीट        | शैक्षणिक सत्र 2017-18 (एक वर्ष ) हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण |


- संस्थान द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों का पालन किया जाना होगा।
- संस्थान में मानक के अनुसार अर्ह फ़ैकल्टी की नियुक्ति होने की पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय को दी जानी होगी।
- संस्थान द्वारा किसी दूसरे विश्वविद्यालय का कोई दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।
- छात्रों से शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा। यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6. यदि किसी संस्थान द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये दी गयी अनापत्ति को वापस लिये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
7. संस्थान में कार्यरत फ़ैकल्टी एवं कर्मचारियों के सदस्यों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप अनिवार्य रूप से कास चैक/RTGS द्वारा उनके नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी। यदि किसी भी निरीक्षण के दौरान संस्थान द्वारा पूर्ण फ़ैकल्टी नहीं पाई जाती है अथवा अभिलेखों में इसकी संतुष्टि नहीं होती है तो जारी अनापत्ति के सापेक्ष उक्त संस्था के संबंधित पाठ्यक्रम रोके जाने हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
8. यदि संस्थान द्वारा पूर्ण फ़ैकल्टी नहीं पाई जाती है अथवा अभिलेखों में इसकी संतुष्टि नहीं होती है तो जारी अनापत्ति के सापेक्ष उक्त संस्था के संबंधित पाठ्यक्रम रोके जाने हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
9. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।
10. पाठ्यक्रम के संबंध में समस्त आधारभूत सुविधाओं की व्यस्था के संबंध में समय-समय पर पुष्टि विश्वविद्यालय को दी जानी होगी।
11. केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदन के संबंध में यदि कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो संस्था द्वारा उसका पालन भी किया जाना होगा।
12. संस्थान द्वारा तीन माह के अन्तर्गत उक्त शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है इस संबंध में विश्वविद्यालय को एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। अन्यथा आगामी वर्ष में सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
13. संस्थान शैक्षणिक सत्र 2017-18 का समस्त वांछित सम्बद्धता शुल्क पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेगा।

  
(प्रो० अनूप कुमार गक्खड)  
कुलसचिव

**प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

01. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
02. सचिव, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली।
03. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
04. सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, राजभवन, देहरादून।
05. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
06. निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवार्यें, उत्तराखण्ड देहरादून।
07. वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
08. प्राचार्य/अधीक्षक, दून इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फ़ैकल्टी साइंस,ग्राम शंकरपुर, हुकुमतपुर, ब्लॉक सहसपुर, तहसील-विकासनगर, देहरादून।
09. गार्ड फाईल।

  
(प्रो० अनूप कुमार गक्खड)  
कुलसचिव।